## <u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 188 / 2018 आर.सी.टी. कं. 179 / 18 संस्थापन दिनांक—08.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

प्रकाश पिता कालु उम्र 28 साल, निवासी कहार मोहल्ला ठीकरी थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

## //निर्णय// (आज दिनांक 08.05.2018 को घोषित )

- 01— अभियुक्त पर दिनांक 23.02.2018 को दिन के 20:30 बजे के मध्य स्थान बारोड नदी के पास ठीकरी में तितली भोरा का खेल रूपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पाने का धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 23.02. 2018 को कस्बा भ्रमण करते मुखबीर की सूचना पर कि, बोराड नदी किनारे ठीकरी में कुछ व्यक्ति अवैध लाभ कमाने के लिये तितली भौंरा का खेल रूपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर खेल कर रहे है, सूचना पर विश्वास कर पंचान धर्मेन्द्र पिता कालु एवं मांगीलाल पिता मदन को सूचना से अवगत कराकर बताये स्थान पर पहुंचे पास में जाकर आड में से देखा तो दो—तीन व्यक्ति बोराड नदी किनारे बबुल की आड

$\sim$		
ानः	ਾਰਹ -	

## आप.प्र.क. 188 / 2018 आर.सी.टी.कं. 179 / 18 संस्थापन दिनांक 08.05.2018

में गोल घेरा बनाकर ताश पत्तों को खेल रूपये पैसों से खेलकर हारजीत कर रहे थे, जिनको घेराबंदी कर पकडते एक व्यक्ति पकडा गया, जबिक दो—तीन व्यक्ति मौका पाकर भाग गये। पुलिस के द्वारा नाम पूछने पर अपना नाम प्रकाश पिता कालु निवासी ठीकरी बताया। विधिवत मौके पर आरोपी प्रकाश से रूपये 200/— व तितली पत्ता जप्त किये गये। थाना वापसी पर अप0 क0 73/18 पर प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04— प्रकरण में अभियुक्तगण ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्तगण को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है, किन्तु अभियुक्तगण के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को जुआ खेलना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छा पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 13 द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 05— अभियुक्तगण प्रकाश पिता कालु निवासी ठीकरी को धारा 13 सार्वजिनक द्युत अधिनियम के आरोप में 100/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का कारावास भुगताया जावे। 06— प्रकरण में आरोपी से जप्त धनराशि 200/— रूपये के संबंध में अन्य अभियुक्त या अन्य किसी ने इसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है। इसिलए यह आदेशित किया जाता है कि यह धनराशि अपील अविध पश्चात राजसात हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में जप्तशुदा तितली का पत्ता मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात नष्ट हो

## आप.प्र.क. 188/2018 आर.सी.टी.कं. 179/18 संस्थापन दिनांक 08.05.2018

जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0 मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म०प्र0